10 रु. कोर्ट फ़ी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES
10 रु. कोर्ट फ़ी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

112

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल, ग्वालियर केम्प, भोपाल

R-4306-PBR/13
R-4306-II/13

प्रकरण कं. ...../13

बन्ने खां आ0 नन्ने खां
आयु वयस्क निवासी– ग्राम तकिया
तह0 श्यामपुर जिला सीहोर, ... प्रार्थी

विरूद्ध

के एम निजाम आ0 सुजात खां
आयु वयस्क निवासी– म.नं. 3
कांग्रेस नगर बैरसिया रोड भोपाल .... प्रतिप्रार्थी

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 06.11.2013 जो प्रकरण कं. 68/अपील/2012–13 में न्यायालय श्रीमान आयुक्त महोदय भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित किया गया

महोदय,

प्रार्थी की ओर से निम्नलिखित तथ्यों एवं विधिक आधारों पर यह निगरानी प्रस्तुत है :–

तथ्य

1. यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि खसरा कं. 134/79/2 रकबा 2.246 हेक्टेयर मे से 1.306 हेक्टेयर भूमि स्थित ग्राम सतपोन तह0 व जिला सीहोर को विक्रय करने हेतु प्रार्थी ने शाकिब खान आ0 स्व. जरार खान निवासी इंद्रा प्रियदर्शनी कालेज खानूगांव भोपाल के पक्ष में मुख्तारनामा उपपंजीयक कार्यालय भोपाल मे निष्पादित किया था किंतु उक्त मुख्तार ने प्रार्थी की शर्तों का पालन नही किया इस कारण से प्रार्थी ने उक्त मुख्तारनामा निरस्त करा दिया था।

2. यह कि उक्त मुख्तारनामे का नाजायज लाभ लेकर उक्त शाकिब खान द्वारा प्रतिप्रार्थी के पक्ष मे उक्त भूमि के विक्रय पत्र का पंजीयन करा दिया है जिसके आधार पर उक्त भूमि

cont-2-

ब्रज किशोर श्रीवास्तव
एडवोकेट
25, हरि निवास दुर्गा चौक
तलैया, भोपाल

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 4306–दो/2013 जिला–सीहोर

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23–9–16	आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री नीरज श्रीवास्तव उपस्थित। अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। आवेदक के अभिभाषक को ग्राह्यता की बिन्दु पर सुना गया । 2/ आवेदक के द्वारा आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल के प्र0क्र0 68/अपील/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 06.11.2013 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अंतर्गत इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है । 3/ मेरे द्वारा आवेदक के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये गये तथा प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अवलोकन से पाया कि अनावेदक ने विचारण न्यायालय के समक्ष प्रश्नाधीन भूमि का नामांतरण अपने नाम से कराने हेतु संहिता की धारा 109, 110 का आवेदन पत्र पंजीकृत विक्रय पत्र के साथ प्रस्तुत किया है । आवेदन पत्र प्राप्त होने पर नायब तहसीलदार टप्पा दौराहा ने प्रकरण दर्ज कर दिनांक 25.06.12 को विधिवत उद्घोषणा जारी कर आपत्तियां प्राप्त की गई है । दिनांक 24.08.12 को आवेदक उपस्थित होकर जवाब हेतु समय चाहा गया तत्पश्चात दिनांक 17.09.12 को आवेदक को पुनः सूचना पत्र जारी किया गया, किन्तु अनुपस्थित रहने	

के कारण आगामी पेशी दिनांक 22.09.12 को उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई । इससे यह स्पष्ट है कि आवेदक को पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर दिया जा कर विचारण न्यायालय ने पंजीयत विक्रय पत्र के आधार पर आदेश दिनांक 05.10.12 के द्वारा अनावेदक के पक्ष में नामांरतण स्वीकार किया है। विचारण न्यायालय के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी सीहोर द्वारा इस आधार पर स्वीकार की गई कि आवेदक को सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया है। जबकि आवेदक दिनांक 24.08.12 को विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ था । ऐसी स्थिति में प्रथम अपीलीय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी सीहोर द्वारा पारित आदेश को निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । आयुक्त भोपाल द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती। अतः आयुक्त भोपाल के द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.11.2013 स्थिर रखा जाता है ।

4/ फलतः निगरानी बलहीन एवं महत्वहीन होने से निरस्त की जाती है प्रकरण समाप्त होकर, दाखिल रिकॉर्ड।

(के0सी0 जैन)
सदस्य